

229022379

1/383/2024



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 131373

CB 131373

16 AUG 2017



Collaboration Agreement

यह सहयोग समझौता (इसके बाद "यह समझौता") 15/03/2024 को किया गया है और 15/03/2024 से प्रभावी है, इनके द्वारा और इनके बीच:

प्रथम पक्ष-द्वितीयपक्ष

Mr. Akhileshkumar

S/o Buddhu Lal, Beli - khurd, lucknow
UP- 227125

Authorized signatory - Mr.
Akhileshkumar S/o Buddhu Lal, Beli -
khurd, lucknow UP- 227125

M/s AgrasheelInfratech Pvt. Ltd.

R/O 910, 9th Floor Marcantile House,
KG Marg, Connaught Place, Central
Delhi, New Delhi -110001

Authorized signatory - Mr. Sandeep
Kumar Singh S/o Mr. Rajendra Prasad,
447/57, Millat Nagar, KDA Colony,
Gallamandi, Naubasta, Kanpur
208021



For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.
Akhilesh Kumar Singh



कम संख्या 14936 दिनांक 15/3/24
स्टाम्प ब्रॉच करने का प्रमाणित
फोटो का नाम व पुरा पता

स्टाम्प की धारणी 50000
असद अली रिजवी स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं 171 लाइ की कतमी 31-03-2018
कलेक्ट्रेट कोड लखनऊ

महश्वीत इ-प्राइम प्रमाणित



878181 80



भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय तखतऊ क्रम 2024229022379

आवेदन संख्या : 202400821068614

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2024-09-10 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम अखिलेश कुमार

लेख का प्रकार भागीदारी बिलेख

प्रतिफल की धनराशि 0 / 0.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 500

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 40

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुकदमा के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

100% का हरेगि लूम

1 से 6 तक का योग

540

शुल्क बमूल करने का दिनांक

2024-09-10 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा

2024-09-10 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता का नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					अखिलेश कुमार कुंज श्री बुद्धू बाबू मितासी - बेनी खुर्द बखनर	
					मं. अमशील इन्फा डायल सारा श्री संदीप कुमार सिंह कुंज श्री राजेन्द्र प्रसाद निं 447/57, मिलन नगर कै डी ए कालोनी गन्नामण्डी जौबस्ता ज्ञानपुर	
					अखिलेश कुमार सिंह कुंज श्री कृष्ण कुमार सिंह शहबीगां सुल्तानपुर	
					दीपक यादव कुंज श्री दयाराम यादव निवासी - सतारख शेड, ग्राम किरीली कवा, बाराबंकी	



भारत सरकार
Government of India



अखिलेश कुमार
Akhilesh Kumar
जन्म तिथि / DOB 10/04/1990
पुरुष / Male



6035 2044 8509

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार
Unique Identification Authority of India

पता

S/O बुद्ध लाल, बेली खुर्द, सथवारा,
बेली, लखनऊ, सथवारा, उत्तर प्रदेश,
227125

Address

S/O. Buddhu Lal, Sathwara,
Sathwara, Bel, Lucknow,
Sathwara, Uttar Pradesh

6035 2044 8509



1800 300 1947



help@uidai.gov.in



UIDAI

Amey

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

AKHILESH KUMAR

BUDDHULAL

10/04/1993

Permanent Account Number

DQYPK7344L

Dumay

Akhilesh Kumar

Signature

सरकार भारत

GOVT OF INDIA

00102014



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



संदीप कुमार सिंह

Sandeep Kumar Singh

जन्म तिथि / DOB : 10/07/1987

पुरुष / MALE

Mobile: 9956045022

3238 4164 7735

VID : 9141 9450 6708 1794

आधार -आम आदमी का अधिकार



एकलिंग पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



पता

राजेंद्र प्रसाद, 447/57, मिल्लत नगर केडीए कालोनी,
गल्लामंडी नौबस्ता, कासीगांव, कासीगांव, कानपुर नगर,
उत्तर प्रदेश - 208021

Address

C/O Rajendra Prasad, 447/57, Millat Nagar Kda Colony,
Gallamandi Naubasta, VTC: Kasigawan, PO: Kasigaon, District:
Kanpur Nagar State: Uttar Pradesh, PIN Code: 208021,

3238 4164 7735

VID : 9141 9450 6708 1794



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in



Scanned with OKEN Scanner

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

SANDEEP KUMAR SINGH

RAJENDRA PRASAD

10/07/1987

Permanent Account Number

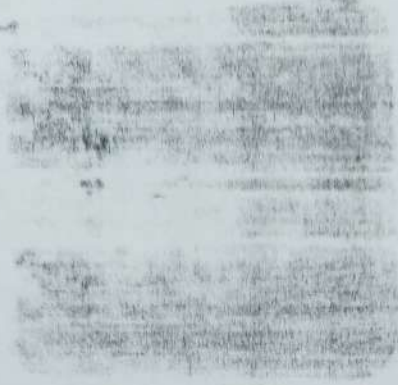
EUSPS1266N

S. Singh

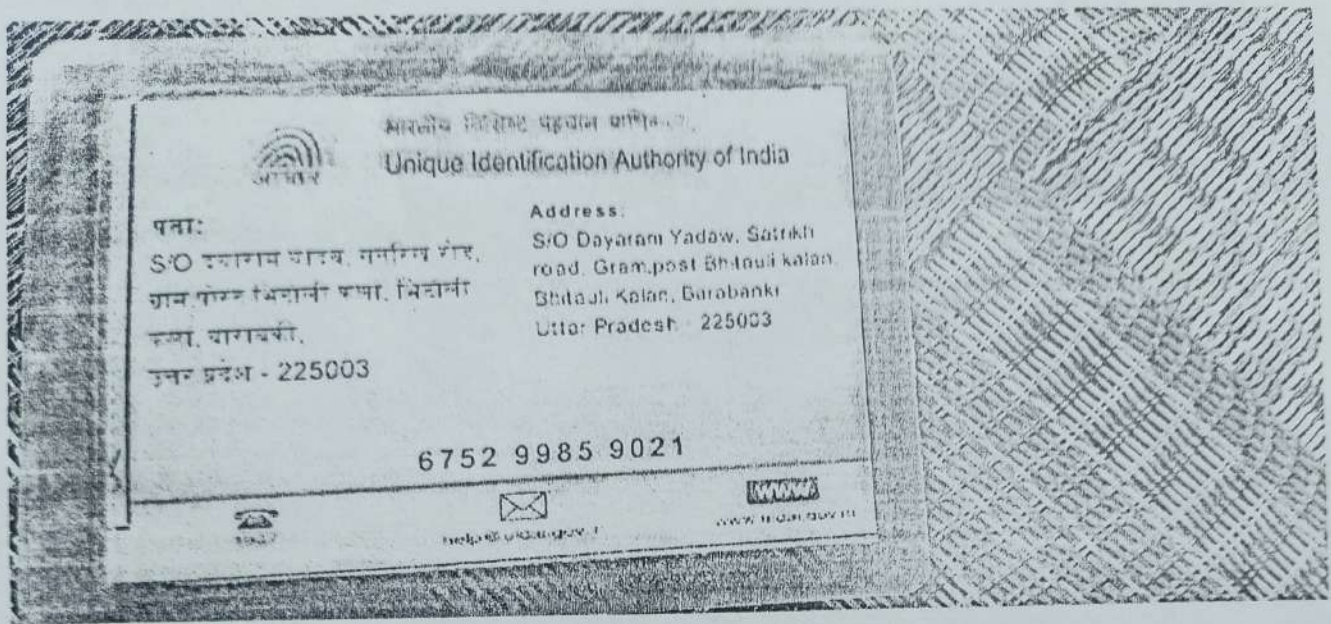
R. Singh

भारत सरकार

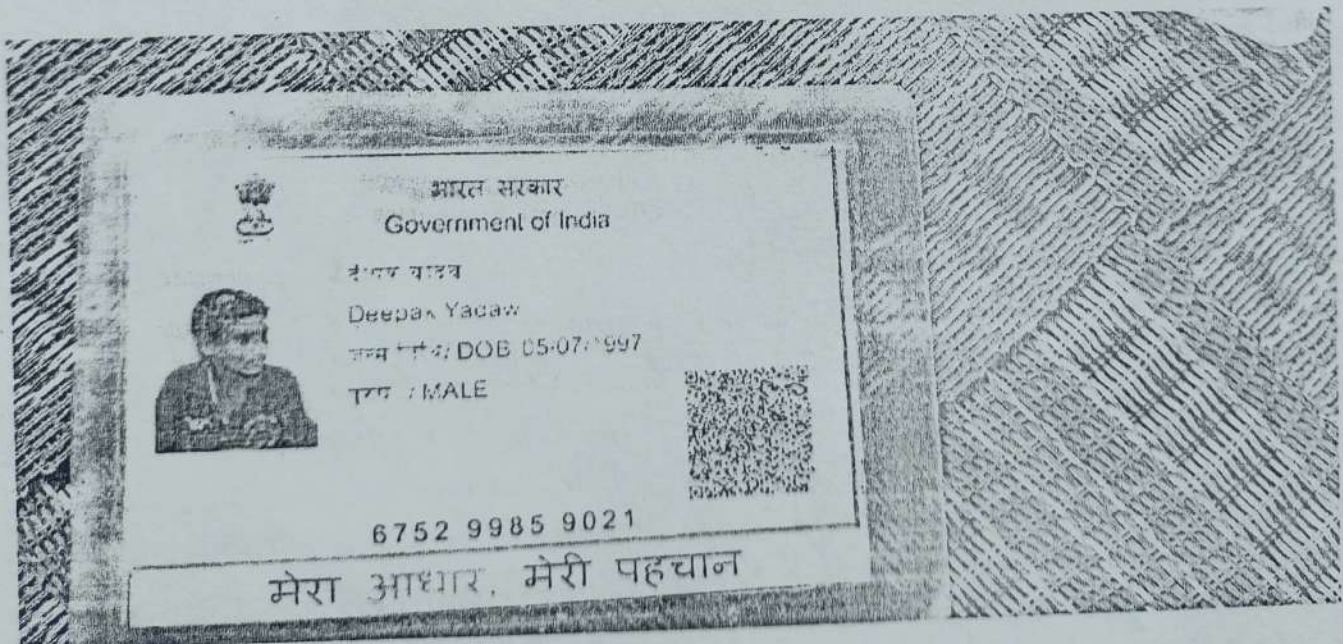
GOVT. OF INDIA



29032013



Deepak





- 1- द्वितीय पक्ष विकास एवं निर्माण कार्य में दक्ष है एवं विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं का कार्य कर रही है। उपरोक्त दक्षता को ध्यान में रखते हुए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को विकास कार्य, क्रय - विक्रय, प्रकाशन, प्रचार प्रसार, प्राधिकरण एवं अन्य संगठनों से अनुमोदन की कार्यवाही इत्यादि का अधिकार अनुसूची ए में दिए गये भूमि पर दिया जा रहा है।
- 2- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके भूमिअनुसूची 'ए' में उल्लिखित प्रतिफल शेयर के रूप में आपसी सहमति के अनुसार आवासीयविकसित भूमि परियोजना के प्रथम चरण में आवंटित किया जायेगा।
- 3- प्रथम पक्ष इस समझौते के तहत विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए अनुसूची 'ए' संपत्ति के अनुसार भूमि का भौतिक कब्जा दूसरे पक्ष को सौंप देगा। यह समझौता परियोजना के पूर्ण होने तक खण्डित नहीं किया जा सकेगा।
- 4- प्रथम पक्ष प्रतिफल के रूप में विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी राशि का दावा नहीं करेगा और बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार करेगा।
- 5- दूसरा पक्ष इस समझौते की शर्तों के अनुसार सीमाओं को बदलने, विकास करने और परियोजना क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन करने में सक्षम होगा।
- 6- अनुसूची ए में दिए गए अनुबन्धित भूमि में विक्रय विलेख पूर्ण हो जाने पर भूमि के नये को ही विकसित भूमि का आवंटन किया जायेगा।
- 7- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि वे किसी भी अदालत में उपरोक्त प्रतिफल और जुर्माने (जैसा कि इस समझौते के तहत लागू है) के अतिरिक्त किसी प्रकार के भुगतान के लिए दावा नहीं करेंगे और कोई भी याचिका दायर करने के हकदार नहीं होंगे। ऐसी याचिका व्यर्थ और अवैध होगी और वे दूसरे पक्ष के आदेशों का पालन करेंगे।
- 8- प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भूमि के योगदान के बदले में, द्वितीय पक्ष इस परियोजना के तहत न्यायसंगत तरीके से वर्ग मीटर मापने वाले विकसित भूखंड प्रदान करेगा, अर्थात हिस्सेदारी का वितरण/आवंटन संख्या के अनुरूप क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आनुपातिक हिस्सेदारी का कब्जा संबंधित चरण की सीसी (पूर्णता प्रमाण पत्र)/ओसी (अधिकृत प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- 9- प्रथम पक्ष एतद्वारा घोषणा करता है और दूसरे पक्ष को आश्वस्त करता है कि आज की तारीख में अनुसूची 'ए' संपत्ति पर कोई बाधा, पूर्व समझौते, संयुक्त परिवार के हित, पट्टे/लाइसेंस, ऋण, शुल्क या कुर्की नहीं है और उनके पास है। यदि कोई तीसरे पक्ष का दावा है, तो पहला पक्ष अकेले ही अपनी लागत पर इसे निपटाने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि वे उचित समय के भीतर इसे निपटाने में विफल रहते हैं, तो दूसरा पक्ष, बिना बाध्य हुए, ऐसे दावों को निपटाने का हकदार होगा। ऐसी शर्तों पर जिन्हें दूसरा पक्ष उचित और समीचीन समझे और पहले पक्ष की कीमत पर, जो पहले पक्ष पर बाध्यकारी होगा। पहली पार्टी अकेले ही अनुसूची 'ए' संपत्ति के संबंध में सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने और शीर्षक की जांच या सीमाओं के सीमांकन आदि के लिए आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगी। भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में, प्रथम पक्ष आगे यह वचन देता है कि शीर्षक या किसी तीसरे पक्ष के दावे या संस्था के दावे, बैंक के दावे या किसी अन्य दावे या किसी पूर्व समझौते में दोष, यदि कोई हो, के लिए वह अकेला जिम्मेदार होगा। यदि कोई हो, तो तीसरे पक्ष द्वारा और उनके दावों या किसी मुकदमे की भरपाई भी की जाएगी यह उसकी अपनी लागत के बराबर होगा और दूसरा पक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 10- प्रथम पक्ष इसके द्वारा इस भूमि/परिसर की, दूसरे पक्ष को परियोजना के विकास के उद्देश्य से भौतिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है

Amor

For M/s. Agrasheel Infotech Pvt. Ltd.
Authorized Signatory



- 11- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रथम पक्ष के पास अनुसूची 'ए' संपत्ति के शीर्षक को वेचने/बदलने का कोई अधिकार नहीं है।
- 12- दूसरा पक्ष अनुसूची 'ए' संपत्ति के साथ परियोजना विकसित करने के उद्देश्य में किसी भी अन्य भूमि को शामिल करने का हकदार होगा, पहले पक्ष को इस संदर्भ की ऐसी शर्तों पर आपत्ति नहीं होगी।
- 13- दूसरा पक्ष किसी भी अन्य भूमि के साथ अनुसूची 'ए' संपत्ति विकसित करेगा (इस समझौते के हिस्से के रूप में विकसित करने के उद्देश्य में) और इसे नियोजित विकास के लिए उपयुक्त तरीके से पुनर्गठित और नया आकार दिया जा सकता है।
- 14- प्रथम पक्ष इस बात से सहमत है कि दूसरे पक्ष के पास परियोजना के सह-डेवलपर्स के रूप में अन्य कंपनी/कंपनियों को शामिल करने का विशेष अधिकार है और उनके साथ अलग समझौता करने का अधिकार है।
- 15- दूसरा पक्ष विकास कार्य हेतु (अनुसूची ए एवं अन्य भूमि) किसी भी अनुमति, अनुदान, सेवा कनेक्शन आदि के लिए सरकार, राज्य, केंद्र या स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों/संगठनों से संपर्क करने के लिए अधिकृत है।
- 16- भूमि प्रत्येक मूल भूखंड में चिनियोजित की जाएगी और लागू भवन उपनियमों के मानदंडों के अनुसार विकास के विभिन्न घटकों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाएगी, बशर्ते कि आंतरिक और बाह्य रूप में विकसित पुनर्गठित भूखंडों के रूप में प्रथम पक्ष का न्यूनतम हिस्सा उसकी मूल भूमि/प्लॉट क्षेत्र का आपसी सहमति के अनुसार विकसित भूखंड होगा। योजना के तहत विकसित भूखंड, यथासंभव सीमा तक, भू- को उसी योजना में आवंटित किए जा सकते हैं, जिसके लिए भू- ने अपनी भूमि एकत्रित की है।
- 17- लेआउट योजना अनुसूची बी के अनुसार सजरा योजना पर अधिरोपित की जाएगी।
- 18- प्रथम पक्ष उन्हें आवंटित/आवंटित किये जाने वाले पुनर्गठित भूखंडों के बदले किसी भी विकास शुल्क या अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 19- द्वितीय पक्ष परियोजना का RERA पंजीकरण प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि और 6 महीने की अतिरिक्त छूट अवधि के भीतर परियोजना के विकास कार्यों को पूरा करेगा। परियोजना अवधि में विस्तार, मानदंडों और/या पार्टियों के बीच आपसी समझौते के अनुसार होगा, अप्रत्याशित घटना की स्थिति में अवधि को अप्रत्याशित घटना की स्थिति जारी रहने तक बढ़ाया जाएगा। "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ सीधे निम्नलिखित घटनाओं या स्थितियों में से कोई है, किसी पार्टी द्वारा उसके किसी भी प्रदर्शन को अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना, सीमित करना/असंभव बनाना इस समझौते के तहत दायित्व, जिनमें दैवीय कृत्य, युद्ध शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं (घोषित और अघोषित), आतंकवादी हमले, दंगे, नागरिक अशांति, हड़ताल, आग, भूकंप, विस्फोट, बाढ़, तोड़फोड़ या पार्टी के नियंत्रण में परे कोई अन्य घटना (प्रत्येक "अप्रत्याशित घटना") अनुबंध के तहत जिसे उसके दायित्वों के प्रदर्शन से रोका गया है।
- 20- विकसित भूमि का लागत मूल्यांकन दूसरे पक्ष द्वारा मौजूदा लागत दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर किया जाएगा। विकसित भूखंडों के लिए आवंटन दर भी, जैसा लागू हो, द्वितीय पक्ष द्वारा तय की जाएगी। पुनर्गठित भूखंडों का 'अंतर मूल्य निर्धारण' द्वितीय पक्ष द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार किया जाएगा।
- 21- दूसरा पक्ष अपने हिस्से की भूमि का उपयोग भविष्य में वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग, समूह आवास और अन्य के लिए कर सकता है ताकि बुनियादी ढांचे के विकास की लागत और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए क्रॉस-सब्सिडी को सक्षम किया जा सके।
- 22- पुनर्गठित/विकसित भूखंडों का आवंटन भूमि स्वामी के पक्ष में निःशुल्क किया जायेगा।
- 23- परियोजना के सभी प्रकार से पूरा होने के बाद, दूसरा पक्ष पुनर्गठित/विकसित भूखंडों की सूचना प्रथम पक्ष को देगा और कब्जा देगा, जो आवंटन पत्र/संवहन विलेख/या दूसरे पक्ष द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके के तहत प्रथम पक्ष को आवंटित किए गए हैं।

Amr

3. Agratech InfraTech Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

आवेदन सं०: 202400821068614

भागीदारी विलेख

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 383

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 5000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 540

श्री अखिलेश कुमार ,
पुत्र श्री बुद्धू लाल
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: बेली खुर्द लखनऊ

Aruna



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/09/2024 एवं 12:21:05 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]

कामना राय,
उप निबंधक : सदर तृतीय
लखनऊ
10/09/2024

बबिता सिंह ..
निबंधक लिपिक
10/09/2024



- 24- पुनर्गठित/विकसित भूखंड को सौंपने के बाद, प्रथम पक्ष हस्तांतरण विलेख के लिए दूसरे पक्ष द्वारा बनाए गए प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार, भूखंडों के अपने हिस्से को हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 25- दूसरा पक्ष अपने हिस्से को तीसरे पक्ष को हस्तांतरण विलेख के लिए विज्ञापन देने और समझौतों में प्रवेश करने, विचार प्राप्त करने, रसीदें जारी करने, आय का विनियोग करने, ऐसे तीसरे पक्ष के खरीदारों को एटीएम/बिक्री विलेख/पंजीकरण/अन्य हस्तांतरण निष्पादित करने और प्रस्तुत करने का हकदार होगा और प्रथम पक्ष को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
- 26- राजस्व उक्त परियोजना के लिए खोले गए एस्क्रो खाते/रिरा खाते के तहत जमा किया जाएगा और रिरा अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार निकाला जाएगा।
- 27- यदि दूसरा पक्ष किसी वितीय संस्थान से परियोजना के लिए ऋण लेता है तो पहला पक्ष ऋण लेने के लिए भूमि के अपने हिस्से के स्वामित्व के कागजात भी प्रदान करेगा और दूसरा पक्ष किसी भी दायित्व के खिलाफ पहले पक्ष को क्षतिपूर्ति देगा जो ऋण संबंध में उत्पन्न हो सकती है।
- 28- शेयर का आवंटन परियोजना के विकास के लिए निर्धारित विभिन्नचरणों के अनुसार किया जाएगा।
- 29- दूसरा पक्षनिर्माण एवं विकास और /समग्र प्रबंधनके लिए बाहरी ठेकेदार/उप-ठेकेदार/एजेंसियों/सह-विकासकर्ता नियुक्त कर सकता है।
- 30- लाइसेंसिंग एवं बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन समेत सभी मंजूरी और (इन्हीं तक सीमित नहीं होगी) दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होगी।
- 31- दूसरा पक्ष पहले पक्ष के अधिकारों में बाधा डाले बिना, परियोजना का विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए, जेडीए, कंसोर्टियम समझौता, सहयोग समझौता, एमओयू इत्यादि जैसे अन्य समझौतों में प्रवेश कर सकता है, जो उसे निर्माण और निर्माण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त लगता है। इसके अलावा, दूसरे पक्ष को इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को उक्त उद्देश्य के लिए तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार है। दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
- 32- प्रथम पक्ष अपनी सहमति देता है, दूसरे पक्ष या परियोजना के निर्माण और विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए दूसरे पक्ष द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को परियोजना का लोगो, नाम और वेबने/वाजार/ ब्रांडिंग करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। प्रोजेक्ट और संबंधित कंपनियों को ब्रांड करें।
- 33- दूसरा पक्ष सक्षम प्राधिकारियों से एनओसी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 34- दूसरे पक्ष को परियोजना में परिसर की बिक्री के संबंध में नियामक निकायों, सोसायटी, रजिस्ट्रार और किसी अन्य तीसरे पक्ष के समक्ष प्रतिनिधित्व करने और परिसर की बिक्री के लिए आवश्यक या प्रासंगिक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।
- 35- यदि कोई भी पक्ष यहां निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसी असहमति के समय प्रचलित दर पर एमवीआई एमसीएलआर + 1% ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे या अथवा दोनों पक्षोंद्वारा किये गए व्यावसायिक नुकसान, जो भी ज्यादा हो का भुगतान करना होगा।
- 36- दूसरे पक्ष को एलडीए/संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार और एलडीए/संबंधित अधिकारियों द्वारा।स्वीकृतनियमोंऔरशर्तोंकेअनुसारविकासभूमिपरपरियोजनामेंभवनविकसितकरनेऔरनिर्माणकरनेकाअधिकारहोगा
- 37- दूसरे पक्ष को सभी प्रकार से परियोजना का प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने और उसके भौतिक कब्जे और उक्त समझौते के अनुसार अन्य दायित्वों का अधिकार होगा।
- 38- दूसरेपक्षकोसंबंधितअधिकारियों, बिजली बोर्ड या किसी अन्य बिजली आपूर्ति कंपनी और अन्य संबंधित अधिकारियों को उनके उपनियमों, नियमों और विनियमों और विशिष्टताओं के अनुसार ऐसी योजनाएं, लेआउट, समामेलच, उप प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। - विकास भूमि का विभाजन, आरक्षण का स्थानांतरण और उपरोक्त उद्देश्य के लिए सभी आवेदनों, योजनाओं, विशिष्टताओं, कार्यों, दस्तावेजों, लेखों, शपथपत्रों, उपक्रमों, क्षतिपूर्ति आदि पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित

Dunand

Dr. Ms. Agrasheel InfraTech Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 383

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
भागीदार: 1

श्री अखिलेश कुमार, पुत्र श्री बुद्धू लाल

निवासी: बेली खुर्द लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

Amey



भागीदार: 2

श्री मे०अग्रशील इन्फ्र०प्रा०लि० के द्वारा संदीप कुमार सिंह,
पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद

निवासी: 447/57 मिल्लत नगर के डी ए कालोनी
गल्लामण्डी नौबस्ता कानपुर

व्यवसाय: व्यापार

वसु



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री अखिलेश कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह

निवासी: राईबीगो सुल्तानपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

[Signature]



श्री दीपक यादव, पुत्र श्री दयाराम यादव

निवासी: सतरिख रोड ग्राम व पो० भिटौली कला बाराबंकी

व्यवसाय: अन्य

Deepak



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]
कामना राय

उप निबंधक : सदर तृतीय
लखनऊ
10/09/2024

बबिता सिंह ..
निबंधक लिपिक लखनऊ
10/09/2024

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।
टिप्पणी:

प्रिंट करें

करना, जैसा कि अनुमोदन और अनुमोदन के लिए आवश्यक हो सकता है। उक्त लेआउट, समामेलन, उप-विभाजन, योजनाएँ और विशिष्टताएँ और उनमें संशोधन, संशोधित योजनाएँ और/या आईओडी जारी करना और परियोजना के संबंध में प्रारंभ प्रमाण पत्र लेने का अधिकार होगा।

39- संशोधन. किसी भी नियम, शर्तों में कोई वृद्धि, परिवर्तन या संशोधन नहीं यहां उल्लिखित प्रावधान इनमें से किसी पर भी वैध, सक्रिय, प्रभावी और बाध्यकारी नहीं होंगे जब तक इसे लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाता है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है।

40- इस अनुबन्धपत्रके अनुच्छेद अथवा अनुबन्ध पत्र के बाहर यदि किसी प्रकार का मत भेद | विवाद उत्पन्न होता है तो उसको दोनों पक्ष आपसी विचार- विमर्श से समाधान निकालेंगे | यदि आपसी समझौते से विवाद नहीं सुलझ पाता है तो तृतीय पक्ष की मध्यस्थता से विवाद | मतभेद को सुलझाने का प्रयास करेंगे | तृतीय पक्ष की मध्यस्थता एक्ट 1996 अर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के तहत रहेगी | मध्यस्थता की सुनवाई नई दिल्ली या कोर्ट नई दिल्ली जूरिडिक्शन का होना चाहिए।

41- शासी कानून. यह समझौता भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा और इस समझौते से संबंधित या इससे उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में नई दिल्ली के न्यायालयों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

42- सहयोग अनुबन्ध पत्रके पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा |

गवाह :-

1 श्री अखिलेश कुमारसिंह
पुत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह
राईवीगो सुल्तानपुर ऊप्र
M :- 9953875279



प्रथम पक्ष

2 श्री दीपक यादव
पुत्र श्री दयाराम यादव द्वितीय पक्ष
सतरिख रोड ग्राम व पोस्ट भिटौली कला बाराबंकी
M :- 7497970277



For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.
Authorised Signatory



द्वितीय पक्ष

आवेदन सं०: 202400821068614

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 721 के पृष्ठ 201 से 210 तक क्रमांक
383 पर दिनांक 10/09/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



कामना राय.

उपनिबंधक : सदर तृतीय

लखनऊ

10/09/2024

अनुसूची 'ए' : भूमि का क्षेत्रफल : 0.3096 हेक्टेयर;

2-द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके भूमि क्षेत्रफल 0.3096 हेक्टेयर के प्रतिफल शेयर के रूप में आपसी सहमति के अनुसार आवासीय विकसित भूमि परियोजना के प्रथम चरण में आवंटित किया जायेगा।

चौहददी:(खसरा संख्या-252)

पूर्व	-	भूमि खसरा संख्या- 248
पश्चिम	-	भूमि खसरा संख्या- 270 व 265
उत्तर	-	भूमि खसरा संख्या- 251
दक्षिण	-	भूमि खसरा संख्या- 253

चौहददी:(खसरा संख्या- 296)

पूर्व	-	भूमि खसरा संख्या- 297
पश्चिम	-	भूमि खसरा संख्या- 307, 308 व 309
उत्तर	-	भूमि खसरा संख्या- 294 व 295
दक्षिण	-	भूमि खसरा संख्या- 298 व 299

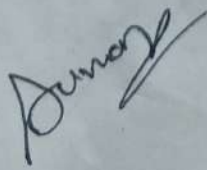
चौहददी:(खसरा संख्या-300 व 301)

पूर्व	-	भूमि खसरा संख्या- 291 व अन्य
पश्चिम	-	भूमि खसरा संख्या- 298 व 299
उत्तर	-	भूमि खसरा संख्या- 298 व 299
दक्षिण	-	भूमि खसरा संख्या-302

चौहददी:(खसरा संख्या- 295)

पूर्व	-	भूमि खसरा संख्या- 294
पश्चिम	-	भूमि खसरा संख्या- 309
उत्तर	-	भूमि खसरा संख्या- 293
दक्षिण	-	भूमि खसरा संख्या- 296 व 297

इसके साक्ष्य में, पार्टियों ने यहां और इसके समकक्षों के लिए निर्धारित किया है और निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में अपने-अपने हस्ताक्षर किए।




For M... Pvt. Ltd.
Signaloy



Signature

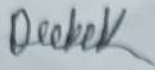
दिनांकित: 15/03/2024

गवाह :-

1. अखिलेश कुमार सिंह



2. दीपक यादव



प्रथम पक्ष/मालिक : अखिलेश कुमार

दूसरा पक्ष/निर्माता : अग्रणी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड



For M/s. Agrani Infotech Pvt. Ltd.
Authorized Signatory





For the
Minister of Education
Government of India